

12/11/20

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जारी सैजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको कथित एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई। आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की कस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बावत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिवक्ता बायतु
नियुक्त किया जावे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1230

दिनांक

12/07/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चन्दू देवी पत्नी अमराराम,
जाति जाट, निवासी घतरवालों
का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. मोहनराम पुत्र लामुराम वगैरा 09,
जातियान जाट, निवासीयान घतरवालों
का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 219/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - घतरवालों का नगर, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 593/398 रकबा क्रमशः 4.9511 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करे तथा पालना रिपोर्ट पेश करे। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1231-1235

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति चन्दू देवी पत्नी अमराराम,
4. विप्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र लामुराम वगैरा 09,।
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 12/07/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर